हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मार्च, 2015

संख्या का०आ० 13/ह०अ०11/1994/धा० 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत कारीरूपाद्वास, खण्ड बाढडा, जिला भिवानी के सभा क्षेत्र से गांव कारीदास के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के कमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित कारीदास के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते है, अर्थात् :—

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
बाढ़डा	भिवानी	कारीदास (हदबस्त संख्या 44)	कारीदास

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु ,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।